सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

ज्येष्ठ 17, मंगलवार, शाके 1944-जून 7, 2022

Jyaistha 17, Tuesday , Saka 1944- June 7, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जून 01, 2022

जी.एस.आर.38 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची में संशोधन.- राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960 से संलग्न अनुसूची में, शीर्ष कनिष्ठ ग्रेड-।। के अधीन क्रम संख्याक 5 के सामने स्तंभ संख्याक 6 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

" प्राचीन या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री में या एम.ए. संग्रहालय विज्ञान (म्यूजियोलाजी) में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी (स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में इतिहास के साथ) या इसके समतुल्य । "

[सं. एफ. 1(21) डीओपी/ए-।।/84]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

रामनिवास मेहता,

संयुक्त शासन सचिव,

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.II
NOTIFICATION
Jaipur, June 01, 2022

G.S.R.38 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Archaeology and Museums Service Rules, 1960, namely:-

1. Short title and commencement.- (1)These rules may be called the Rajasthan Archaeology and Museums Service (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Schedule.-** In Schedule appended to the Rajasthan Archaeology and Museums Service Rules, 1960, the existing entries of column number 6 against serial number 5 under the heading Junior Grade-II shall be substituted by the following, namely:-

"Second division with atleast 55% or above marks in Master's degree in Ancient or Medieval Indian History or M.A. Museology (with one subject History at Graduation level) or its equivalent."

[No. F.1(21)DOP/A-II/84]
By order and in the name of the Governor,
RAM NIWAS MEHTA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.